"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2007—कार्तिक 11, शक 1929

भाग 4

विषय—सूची

भाग 4 (क)—निरंक

भाग 4 (ख)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग,

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

शुद्धि-पत्र

क्र. 9038/21-अ/प्रारुपण/07.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-09-2007 में प्रकाशित किये गये छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित पृष्ठों, शब्दों, अंकों एवं विराम चिन्हों के स्थान पर,

जो उक्त सारणी के कॉलम (2) में दर्शित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गए शब्द, अंक पढ़े जायें :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक, विराम चिन्ह (1)	राजपत्र में पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक, विराम चिन्ह आये हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक, विराम चिन्ह जो कि पढ़े जायें. (3)
उपबंधों कि अधीन	पृष्ठ क्र. 572 (8) पंक्ति क्रमांक-3.	उपबंधों के अधीन
महानिरीक्षक अनिम्न	पृष्ठ क्र. 572 (8) पंक्ति क्रमांक-13.	महानिरीक्षक से अनिम्न
प्राधिकरण का सदस्य	पृष्ठ क्र. 572 (10) पंक्ति क्रमांक-5	प्राधिकरण का स्वतंत्र सदस्य
अन्यथा सदस्य	पृष्ठ क्र. 572 (11) पंक्ति क्रमांक-6	सदस्य
अनियंत्रित हो, शांति	पृष्ठ क्र. 572 (15) पंक्ति क्रमांक-19	अनियंत्रत हो,
को, अनुविभागीय	पृष्ठ क्र. 572 (15) पंक्ति क्रमांक-22	को, जिला मजिस्ट्रेट अथवा अनुविभागीय
उपखण्ड (ज) में	पृष्ठ क्र. 572 (17) पंक्ति क्रमांक-24	उपखण्ड (च) में
प्रतिनियुक्ति	पृष्ठ क्र. 572 (17) पंक्ति क्रमांक-30.	पुनर्नियुक्ति

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

भाग 4 (ग)—निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.